न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 68 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट
राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़।

रेस्पोडेंटगण
बनाम 1.नखतसिंह पुत्र बूलिदानसिंह
2.मांगूसिंह पुत्र बूलिदानसिंह
3.कंवरो पत्नी बूलिदानसिंह
4.बेरिसालसिंह पुत्र सांवतसिंह
5.गिरधरसिंह पुत्र बलवंतसिंह
6.हरीसिंह पुत्र बलवंतसिंह
7.मोहनकंवर पत्नी बलवंतसिंह सर्वे जातियान राजपूत सर्वे निवासीयान भैलाणी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।
8.दीपकंवर पत्नी प्रागदान उम्र 38 वर्ष जाति चारण निवासी भैलाणी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 02/2013 बनवान बूलिदानसिंह का.मु. नखतसिंह वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 03.01.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम भैलाणी के खसरा संख्या 121/495 रकबा 199.04 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 27.03.2014 को अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादीगण के पूर्वज बूलिदानसिंह पुत्र सांवतसिंह कौम राजपूत साकिन देह जागीरदार के नाम से पर्चा खतौनी के कॉलम संख्या 2 में दर्ज है तथा कॉलम संख्या 4 में खुद काश्त की भूमि दर्ज है तथा तुलनात्मक पंजिका के कॉलम संख्या 2 में बूलिदानसिंह पुत्र सांवतसिंह कौम राजपूत साकिन देह जागीरदार दर्ज है तथा बूलिदानसिंह पुत्र सांवतसिंह के नाम से समरी खसरा संख्या 64 खेत का नाम हणुतेरी खेड़ा रकबा 172.10 बीघा किस्म बाजरिया समरी खसरा संख्या 66 खेत का नाम तेजराज री खडप उतर रकबा 115 बीघा किस्म बाजरिया कुल समरी खसरा संख्या 2 कुल रकबा 287.10 बीघा में बने वर्तमान खरा संख्या 131 रकबा 571.05 बीघा बूलिदानसिंह, बेरिसालसिंह, बलवन्तसिंह पिता सांवतसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार तुलनात्मक रजिस्टर खसरा संख्या बंदोबस्त भू प्रबंधक सैटलमेंट विभाग संवत 2021 में खातेदारी दर्ज की गई थी। वादीगणको सक्षम न्यायालय में अवसर दिये बिना भू प्रबंधक विभाग द्वारा वर्तमान खसरा संख्या 131 रकबा 571.05 बीघा में से वादीगण के नाम 271.05 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज रखी शेष भूमि बटा नंबर डालकर 131/485 रकबा 300 बीघा सिवायचक दर्ज कर दी जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है तथा इस प्रकार बिना किसी ठोस आधार के रेस्पोडेंट की समरी के मालिकाना हक की भूमि बिना कोई जांच किये पड़त सरकार (सिवायचक) में दर्ज कर दिया जो गलत था। अपीलाधीन आराजी पर वादी/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत के संबंध में न्यायालय को अवगत करवायाः–

RRT 2008(1) HC Page 151
RRD 1983 Page 364
RRD 2001 Page 60

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि वादीगण की भूमि की (प्रदर्श 1) जमाबंदी ग्राम भैलाणी संवत 2021 से संवत 2024, (प्रदर्श 2) जमाबंदी ग्राम भैलाणी संवत 2016 से संवत 2020, (प्रदर्श 3) जमाबंदी ग्राम भैलाणी संवत 2025 से संवत 2028, (प्रदर्श 4) जमाबंदी ग्राम भैलाणी संवत 2029 से संवत 2032 में लगातार समरी खसरा संख्या 64, 66 में कुल रकबा 287.10 बीघा बैरीसालसिंह पुत्र सगतसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कौम राजपूत साकिन देह खातेदार दर्ज रहा है। (प्रदर्श–5) खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम भैलाणी संवत 2015 से संवत 2018, (प्रदर्श–6) खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम भैलाणी संवत 2019 से संवत 2022, (प्रदर्श–7) खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम भैलाणी संवत 2021 से संवत 2024, (प्रदर्श–8) खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम भैलाणी संवत 2025 से संवत 2028, (प्रदर्श–9) खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम भैलाणी संवत 2029 से संवत 2032 उक्त खसरा गिरदावरी से भी वादग्रस्त आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य EXP-11 तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम भिलाणी जिसमें वादीगण के नाम दर्ज रकबे को स्थाई सैलमेंट में वादीगण के नाम दर्ज करते वक्त कमी की गई लेकिन कमी का इंद्राज नहीं किया गया। खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त ग्राम भैलाणी संवत 2069 विशिष्टियों सहित काश्तकार मांगूसिंह, नखतसिंह पिता बूलीदानसिंह खसरा संख्या 131/495/1 रकबा 15 बीघा हरिसिंह, गिरधरसिंह पिता बलवंतसिंह खसरा संख्या 112/1 रकबा 10 बीघा एवं बेरीसालसिंह पिता सांवतसिंह कौम राजपूत द्वारा खसरा संख्या 398/1 रकबा 20 बीघा कुल रकबा 45 बीघा पर गवार की काश्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो तनकीयात कायम की गई जिसमें से प्रतिवादी द्वारा एक भी तनकी को अपने पक्ष में साबित करने का कोई आधार एवं साक्ष्य पेश नहीं करने से उसके विरूद्ध निर्णित की गई। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसमें यह साबित होता हो कि वादीगण/रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रूप में बयान शपथ–पत्र एवं वादीगण के गवाह चंदनदान पुत्र तेजदान जाति चारण उम्र 60 वर्ष निवासी भेलानी ने अपने शपथ पूर्वक कथन करता हू बताया कि मौजा भेलानी के समरी खसरा संख्या 64 व 66 से वर्तमान खसरा संख्या 131 रकबा 571.05 बीघा समरी बंदोबस्त व स्थायी बंदोबस्त में वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जिसे बंदोबस्त अधिकारियो द्वारा वादीगण के समक्ष न्यायालय में सुनवाई का अवसर दिये बिना काट कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दी है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 131/495 रकबा 199.04 बीघा है। वादीगण का वक्त जागीर, समरी स्थायी बंदोबस्त से लेकर आज दिन तक काबिज काश्त है। तथा मौके पर रहवासी ढाणी पानी के टांके खलिहान धोरे तारबंदी आदि है तथा हर वर्ष गवार बाजरी मूंग मौठ तिलहन की फसल ली जाती है। तथा अन्य गवाहन के बयान वाद–पत्र के समर्थन में है। प्रतिवादी सरकारी पक्ष के गवाह लेखदान अतिरिक्त चार्ज पटवारी सांगड़ ने अपने बयान में दिनांक 06.03.2014 को यह स्वीकार किया गया है कि ग्राम भेलाणी के

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 131 रकबा 571.05 बीघा मे नए खसरा संख्या 131/495 रकबा 199.04 बीघा बने है। यह बात सही है कि समरी खसरा संख्या 64 से वर्तमान खसरा संख्या 131 बने है। संवत 2069–70 में पी–14 के अंतर्गत वादीगण के नाम बतौर अतिक्रमी दर्ज है। मेरे से पूर्व पटवारी द्वारा वक्त गिरदावरी अतिक्रमी दर्ज किया है। इससे साबित है कि वादीगण का उक्त खसरा में बतौर अतिक्रमी समय–समय पर काश्त की जाती रही है। सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आधार और बिना कारण वादीगण के वालिदान की खातेदारी भूमि काटकर राजकीय सिवायचक दर्ज करने में भूल की है। ऐसा करने के लिए वे अधिकृत भी नहीं है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से कमी की गई हैं। भू प्रबंध विभाग को वादीगण की वादग्रस्त आराजी भूमि को कम दर्ज करने का व उसे खातेदारी में कमी कर सिवायचक दर्ज करने का कोई प्राधिकार नहीं रहा है। इस अवधाराणा की पुष्टि निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों से होती हैं।

1- RRT 2008(1) HC Page 151 (Rajasthan Tenancy Act, 1955 Sec. 88 Suit for declaration petition ers declared khatedar tenant of Kh. No. 734 RAA revrsed the judgment & upheld by BOR Settlement Department had no right to change the existing entries even admitting the possession of father respondent No. 4 Respondent No. 4 should have file an independent suit Held, RAA & Board were not justified in reversing the judgment & decree.)

2- Mst. Landhi V/s Bhura Ram 1983 RRD Page No. 364 Settlement powers of settlement authority – Application for entering land on basis o land possession and a decree of SDO U/s 178 RT Act, accepted by ASO where land was in Khatedari of another person. Held, order of ASO could not be based on decree of competent court since decree of SDO, set aside in review. Settlement authorities have not power to grant Khatedari right settlement aughorities, not empowered to change any entry in previous settlement records unless change occurred as a result of an order of competent authority or acquisition or transfer, certified by mutation order-1980 RRD 48 re-lying on 1969 RRD 231 & 1973 RRD 31 followed 1965 RRD 270, not applicable.

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

3- RRD 2001 Page 60 Bishan Singh V/s Magan Singh &ors. (Settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any order of the competent court)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर जो अपीलाधीन निर्णय दिया है वह उचित है। उसमें किसी भी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 02/2013 बनवान बूलिदानसिंह का.मु. नखतसिंह वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

03/1/20

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/1/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner